


रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938

No. 397]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 18-12/2016- सिद्ध (एम.एस.आर).-- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति से सिद्ध चिकित्सा पद्धति में शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की आवश्यकताओं का नियमन करने हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है। (48 का 1970)
 - (ख) 'कॉलेज' से स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालय या संस्थान अभिप्रेत है।
 - (ग) 'संलग्न अस्पताल' से सिद्ध महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण सिद्ध अस्पताल अभिप्रेत है।
 - (क) 'केन्द्रीय परिषद्' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है।
- (2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं:-

- (1) (क) अधिनियम की धारा 13क के अधीन स्थापित सिद्ध कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक की आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक पूरा करेंगे;
- (ख) अनुमति की समाप्ति से 3 माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् अपनी ओर से महाविद्यालय का परिदृशन करेगी;

- (ग) केन्द्रीय परिषद् द्वारा समय समय पर जारी परिदर्शको हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों को केन्द्रीय परिषद् द्वारा इनकी वेब साइट पर परिदर्शन हेतु यथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा ऑन लाइन भरना होगा तथा परिदर्शको को क्रमशः इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी;
- (घ) परिदर्शन के दौरान परिदर्शक द्वारा स्टॉफ तथा आधारभूत संरचना की विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी तैयार की जाएगी तथा इसे विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण के साथ केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करना होगा;
- (ङ.) परिदर्शक द्वारा केन्द्रीय परिषद् को विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण ऑन लाइन प्रस्तुत करने के पश्चात्, केन्द्रीय परिषद् परिदर्शकों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से एक माह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन सहित अपनी संस्तुति भेजेगी;
- (च) केन्द्रीय परिषद् प्रमाणित करेगी कि महाविद्यालय में विद्यमान शिक्षण संकाय किसी अन्य स्थान पर कार्यरत नहीं है;
- (छ) विनियम 7 के उपविनियम (2) को छोड़कर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के मूल्यांकन हेतु परिदर्शन की तिथि को अभिभावी स्थिति पर महाविद्यालय को सशर्त अनुमति अथवा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
- (2) पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं-**
- (क) महाविद्यालय द्वारा इन विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश लेने हेतु अनुमति दी जाएगी। किसी शिकायत के प्राप्त होने पर; अथवा ऑन लाइन बायो मेट्रिक उपस्थिति से यह पाए जाने पर कि शिक्षण, गैरशिक्षण स्टाफ, अस्पताल का स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित नहीं है, अथवा अस्पताल उचित रूप से क्रियाशील नहीं है, ऐसा पाये जाने पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपेक्षित यथा अपेक्षित उक्त अवधि के भीतर महाविद्यालय का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा;
- (ख) उक्त अवधि के भीतर किसी कमी के पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा इसे 150 दिनों के भीतर केन्द्रीय परिषद् को सूचित करते हुए पूरा किया जाएगा। अन्यथा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया गया समझा जाएगा;
- (ग) शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तथा 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों को विनियम 4 से 11 के अर्न्तगत यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। अन्यथा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया समझा जाएगा।
- (3) एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं** (क) किसी विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति मात्र उन महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी जो कि आगामी शैक्षिक सत्र हेतु 31 दिसम्बर से 31 मार्च के बीच केन्द्रीय परिषद् द्वारा निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं;
- (i) अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता;
- (ii) विनियम VII के उप विनियम (2) के अतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण अस्पताल की आवश्यकता;
- (iii) अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उपकरणों की आवश्यकता की न्यूनतम पिचहत्तर प्रतिशत की उपलब्धता;
- (iv) अनुसूची-III में यथा विनिर्दिष्ट ओषधीय उद्यान की उपलब्धता;
- (v) अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट अस्पताल के स्टॉफ की उपलब्धता;
- (vi) अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट तकनीकी एवं अन्य स्टॉफ की उपलब्धता;
- (vii) विनियम 9 के उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय परिषद् की उपलब्धता;
- (viii) विनियम 9 के उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय की वेब साइट की उपलब्धता;
- (ix) विनियम 9 के उप विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट बायो मेट्रिक उपस्थिति की उपलब्धता; एवं
- (x) विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता।
- (ख) महाविद्यालयों, जिन्हें सशर्त अनुमति प्रदान की गई है अथवा जिन्हें शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु अनुमति के लिए मना कर दिया गया है, उन्हें विनियम 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट शैक्षिक सत्र अथवा पांच वर्षों की अवधि हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्राप्त करने के लिए उक्त खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- 4. भूमि की आवश्यकता:-** (1) इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारीक संरचना के लिए आवश्यक कुल निर्मित क्षेत्र कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो।
- (2) 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो और प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा।
- (3) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एफ.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स(एफ.एस.आई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।
- (4) केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में समाहित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।
- (5) भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष से अन्यून या संबन्धित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमति का नवीकरण तथापि पट्टे की समाप्ति पर होगा।
- (6) 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के लिए भूमि के आकार तथा स्वामित्व की आवश्यकता लागू नहीं होगी। परन्तु पट्टे की समाप्ति पर, इन महाविद्यालयों को या तो भूमि को अपने स्वामित्व में लेना होगा अथवा कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष या संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:-

- (1) साठ छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर होना चाहिए।
- (2) 61 से 100 छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र क्रमशः महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए होगा।
- (3) अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण अलग-अलग भवनों में किया जाना चाहिए। तथा कॉलेज एवं अस्पताल के अलग अलग भवनों की आवश्यकता मात्र दिनांक 19.02.2013 के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों पर लागू होगी।
- (4) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारीक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा।
- (5) वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची-III में विहित अनुसार होना चाहिए।

6. **प्रवेश क्षमता:-** महाविद्यालय की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 एवं 100 के स्लैब में होगी। 60 से कम या 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालय को अनुसूची-I से अनुसूची-VII तक में वर्णित क्रमशः 60 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:-

- (1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने और संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।
- (2) **शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:-** छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति क्रमशः 1:1, 40 प्रतिशत एवं 1:2 जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़ (1½) मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका-I

प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष	अन्तरंग रोगी विभाग में 1:1 छात्र शय्या अनुपात पर न्यूनतम शय्याओं की संख्या	गत एक कलैण्डर वर्ष के दौरान अन्तरंग रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (365 दिन) (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग)	गत एक कलैण्डर वर्ष के दौरान बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (300 दिन) (1:2 छात्र -रोगी अनुपात)
60 छात्रों तक	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

शय्या अधिभोग की संख्या की गणना करने हेतु महाविद्यालय प्रत्येक रोगी के भर्ती होने तथा उनके निर्वर्तन की तिथि एवं समय का लेखा जोखा रखेगा। मध्यरात्री में रोगी द्वारा शय्या अधिभोग की गणना एक शय्या दिवस अधिभोग के रूप में की जाएगी। तथा यदि किसी रोगी का निर्वर्तन मध्यरात्री से पूर्व होता है तो उसे 0.5 शय्या दिवस अधिभोग के रूप में गिना जाएगा। शय्या अधिभोग की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

$\frac{\text{शय्या दिवस अधिभोग} \times 100}{\text{शय्याओं की संख्या} \times \text{दिवसों की संख्या}}$

3) बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:-

- (i) कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग के रूग्ण सम्बन्धित दस्तावेज, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, आहार पंजिका अन्तरंग विभाग के रूग्णों के लिए अस्पताल कर्मचारीवृन्द का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।
- (ii) सशर्त अनुमति हेतु, कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा तथा कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित होगी। उन महाविद्यालयों को जिन्हें शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, उन्हें दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली का रख रखाव करना होगा।

(4) **स्थान आवश्यकता:-** पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल में बहिरंग/अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, क्लीनिकल प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, अस्पताल साईड फार्मसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, कारानूल थैरेपी अनुभाग, क्षारसूत्र थैरेपी अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव कक्ष, भण्डार गृह, स्त्री एवं पुरुष अलग-2 वार्ड, चिकित्सकों हेतु, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष होने चाहिए। संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-I के अनुसार होगी।

(5) **बाह्य रोगी विभाग:-** अस्पताल में कम से कम निम्न 8 बाह्य रोगी विभाग होंगे:-

- (i) मरुथुवम (चिकित्सा)
- (ii) वर्मम, पुरमरुथुवम एवं सिरप्पुरुथुवम (वर्मम उपचार, बाह्य उपचार तथा विशेष उपचार)
- (iii) सूल, मगलिर मरुथुवम (प्रसूति तथा स्त्रीरोग)
- (iv) अरुवई, तोल मरुथुवम (शल्य तथा त्वचाविज्ञान)
- (v) कुलन्दई मरुथुवम (बालरोग) तथा
- (vi) अवसर मरुथुवम (आपातकाल)

(6) **अन्तरंग रूग्ण विभाग:-** अस्पताल के अन्तरंग रूग्ण विभाग में पुरुष एवं स्त्री वार्ड अलग होंगे और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:-

क्रम संख्या	अन्तरंग रोगी विभाग	वितरण	60 शय्याएं	100 शय्याएं
1.	मरुथुवम (चिकित्सा)	30% शय्या	18	30
2.	वर्मम, पुरमरुथुवम एवं सिरप्पुरुथुवम (वर्मम उपचार, बाह्य उपचार तथा विशेष उपचार)	25% शय्या	15	25
3.	सूल, मगलिर मरुथुवम (प्रसूति तथा स्त्रीरोग)	15% शय्या	9	15
4.	अरुवई, तोल मरुथुवम (शल्य तथा त्वचाविज्ञान)	20% शय्या	12	20
5.	कुलन्दई मरुथुवम (बालरोग)	10% शय्या	6	10

(7) **नोई नाडल सत्ताम सारंथा मरुथुवम, नान्जु मरुथुवम प्रयोगशालाएं (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला):** अस्पताल के बाह्य रोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं सिद्ध नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।

(8) **अस्पताल के कर्मचारी:** अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी।

8. **कॉलेज की आवश्यकताएं-**

- (1) (क) **शिक्षण स्टाफ:** अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु दस अंश कालिक अतिरिक्त शिक्षकों (माडर्न मेडीसिन के आठ शिक्षक, योग का एक शिक्षक तथा जैव सांख्यिकीय का एक शिक्षक) के साथ 60 छात्रों के प्रवेश हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 61 से 100 तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम नियमित 45 पूर्णकालिक शिक्षक होंगे। वे शिक्षक जो शिक्षण के पद अथवा विषय के शिक्षक से संबंधित पात्रता के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) **शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु:** शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के अनुसार होगी। शिक्षकों की पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनःनियुक्त किया जा सकता है।
- (ग) प्रत्येक शिक्षक का विवरण जैसे शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि महाविद्यालय की वेबसाइट पर होगी।
- (घ) समस्त शिक्षकों की सूची पूर्ण विवरण सहित जैसे केन्द्रीय परिषद् द्वारा आबंटित कोड, शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था तथा वर्तमान संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।

(2) **तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता:** महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टाफ अनुसूची-VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. **विविध आवश्यकताएं-**

(1) **कॉलेज परिषद्:** (क) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्राधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हो।

- (ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार कॉलेज परिषद् की बैठक की जायेगी।
- (ग) कॉलेज परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।
- (2) **कॉलेज की वेबसाइट:** प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिसे प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा एस.टी.डी. कोड, फेक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
- (ख) जिसमें शिक्षण स्टाफ का विवरण, फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव विभाग इत्यादि।
- (ग) उनके अपने विभाग सहित कॉलेज के गैर शिक्षण स्टाफ तथा चिकित्सालय स्टाफ का विवरण।
- (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता का विवरण।
- (ङ) चालू एव गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी के आधार पर सूची।
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।
- (छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
- (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
- (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
- (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।
- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।
- (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।
- (ड) महाविद्यालय की वेबसाइट केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट से जोड़ी जायेगी, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा।
- (ढ) महाविद्यालय के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ, अस्पताल के स्टाफ, छात्रों तथा बाह्य रोगी विभाग तथा अंतः रोगी विभाग में रोगियों की उपस्थिति का माह के अनुसार विश्लेषण महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (3) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति:** (i) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ii) सशर्त अनुमति हेतु बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक होगी।
- (iii) महाविद्यालय जिन्हें शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, वे दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक बॉयोमेट्रिक उपस्थिति का अनुरक्षण करेंगे।
10. **नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -**
- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत सिद्धमरुथवा अरिग्नार (वेचलर ऑफ सिद्ध मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले सिद्ध कॉलेज को आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को निम्नवत् स्थापित करना होगा:
- (क) कॉलेज छात्रों के प्रथम बेच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले आवेदन की तिथि से दो वर्ष से पूर्व कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय के साथ विनियम 4 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मरुथवम, वरमन, पुरामरुथवम एवं सिरापुमरुथवम, सूल, मगालीर मरुथवम, कुझंथय मरुथवम एवं अरुवय मरुथवम में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक। तथा महाविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने से दो वर्ष पूर्व अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की तिथि से, जो भी कम हो, विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक चिकित्सक का अनुभव शिक्षक के रूप में माना जाएगा।
- (iv) दो हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों एवं स्टाफ के बैठने की क्षमता हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम व्यायसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 4 हजार वर्ग मीटर की भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान क्रमशः 60 सीटों तक के लिए तथा 61 से 100 सीटों के लिए जिसमें कम से कम एक सौ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा; तथा
- (viii) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद् द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

- (ख) छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मरुथवम्, वरमन, पुरामरुथवम और सिरापूमरुथवम्, सूत, मगलीर मरुथवम्, कुझांथय मरुथवम् एवं अरुवय मरुथवम् विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यायसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) गुनापादम् मरुथियल एवं गुनापादम् मरुनथाकवियाल विभाग से जुड़ी अनुसूची ii में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ग) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु मरुथवम्, वरमन, पुरामरुथवम और सिरापूमरुथवम्, सूत, मगलीर मरुथवम्, कुझांथय मरुथवम् एवं अरुवय मरुथवम् विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यायसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) गुनापादम् मरुथियल एवं गुनापादम् मरुनथाकवियाल विभाग से जुड़ी अनुसूची ii में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (घ) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक सिद्ध चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।

- (iii) इन विनियमों 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार महाविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य इकाईयों की समस्त आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति की आवश्यकताएं;
- (iv) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टॉफ हो।
- (v) अनुसूची iii यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित औषधी पौधों का बगीचा
- (vi) अनुसूची i से vii यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला
- (vii) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (viii) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (2) (क) किसी नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी।
- (ख) यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् में आवेदन करे।
- (ग) अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैठ के समापन हेतु नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
- (3) नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 13 क के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय को शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना तथा अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग में रोगियों के अभिलेख के रखरखाव हेतु वेब लिंक कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली रखना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने वर्ष 2015 में आवेदन किया था, उनके लिए आशय पत्र जारी करने हेतु इन आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाएगा परंतु उन्हें शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु अनुमति पत्र जारी किये जाने से पूर्व इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
11. **उपकरण, यंत्र-समूह इत्यादि की सूची-** छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची I-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, कॉलेज के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शवच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।
12. **सिद्ध महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि-**
- (1) सिद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु सिद्ध महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।
- (2) सिद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 30 सितम्बर होगी।

अनुसूची-1

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

सिद्ध महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		

3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रन कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीकरण		
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)	300	500
1.	मरुथवम बाह्य रोगी विभाग		
2.	शल्य बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष, वाश बेसिन तथा परीक्षा कक्ष सहित		
3.	शालाक्य तंत्र बाह्य रोगी विभाग		
4.	स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा परीक्षा कक्ष सहित		
5.	कौमारभृत्य (बाल रोग) बाह्य रोगी विभाग		
6.	स्वस्थवृत्त एवं योग बाह्य रोगी विभाग, प्रदर्शन क्षेत्र सहित		
7.	अत्याधिक(हताहत) विभाग प्रसाधन कक्ष तथा वाश बेसिन सहित		
8.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, क्षार सूत्र कक्ष		
9.	औषधालय		
10.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
11.	भण्डार		
12.	स्टॉफ तथा रोगियों के लिये अलग-अलग पुरुष एवं महिला प्रसाधन कक्ष		
IV	अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)	900	1650
1.	कायचिकित्सा तथा पंचकर्म पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
2.	कायाचिकित्सा तथा पंचकर्म महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
3.	शल्य शालाक्य पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	शल्य शालाक्य महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं कौमारभृत्य वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
6.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टॉफ ड्यूटी के लिए कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
8.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
V.	शल्यकर्म कक्ष खण्ड	150	250
1.	मुख्य, लघु एवं शालाक्य प्रक्रियाओं के लिए शल्यकर्म कक्ष		
2.	प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
3.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
4.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव इकाई		
5.	स्क्रब कक्ष		
6.	दो आरोग्य कक्ष		
7.	चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
9.	परिचर्या कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
VI	पंचकर्म खण्ड	200	350
1.	स्नेहन कक्ष (पुरुष)		
2.	स्नेहन कक्ष (महिला)		
3.	स्वेदन कक्ष (पुरुष)		
4.	स्वेदन कक्ष (महिला)		
5.	शिरोधारा कक्ष (पुरुष)		
6.	शिरोधारा कक्ष (महिला)		
7.	वमन कक्ष (पुरुष)		
8.	वमन कक्ष (महिला)		

9.	विरेचन कक्ष (पुरुष)		
10.	विरेचन कक्ष (महिला)		
11.	बस्ति कक्ष (पुरुष)		
12.	बस्ति कक्ष (महिला)		
13.	रक्त मोक्षण, जलौकावाचरण, अग्निर्कर्म, प्राच्छान इत्यादि कक्ष		
14.	पंचकर्म चिकित्सक/चिकित्सकों का कक्ष		
15.	पंचकर्म भण्डार गृह		
16.	संलग्न प्रसाधन कक्ष पुरुषों के लिये तथा महिलाओं के लिये जिनमें से प्रत्येक में वाशवेसिन तथा गीजर की सुविधा हों। ये प्रसाधन वाडों के प्रसाधनों के अतिरिक्त होंगे।		
VII	भौतिक चिकित्सा इकाई:	75	150
1.	भौतिक चिकित्सा कक्ष		
2.	भौतिक चिकित्सक कक्ष		
VIII	नैदानिक प्रयोगशाला: विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित पूर्ण उपकरण युक्त मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन होंगे। ई.सी.जी. अथवा टी.एम.टी. इत्यादि के लिये अन्य नैदानिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।	100	150
IX	विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:- विकिरणविज्ञानी कोष्ठ, एक्स-रे कक्ष, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष, भण्डार कक्ष, रोगी प्रतीक्षा एवं प्रसाधन कक्ष, स्वागत-पटल अथवा पंजीकरण अथवा रिपोर्ट कक्ष।	50	100
X	चिकित्सालय का पाकशाला तथा कैन्टीन:	100	150
XI	भण्डार/शवगृह	25	50
	कुल	2,000	3,500

अनुसूची-II

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

सिद्ध कॉलेज की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	4,000
1.	प्रशासनिक अनुभाग:- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, मिलने वालों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।		
2.	व्याख्यान हाल: साठ सीटों तक प्रवेश हेतु न्यूनतम 80 वर्गमीटर के क्षेत्र के एवं इकसठ से सौ सीटों के प्रवेश हेतु 160 वर्गमीटर क्षेत्र के कम से कम पांच व्याख्यान हाल होंगे जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानत: थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-2 प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत् हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा दृश्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300
4.	केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पचास व्यक्तियों तथा इकसठ से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, शेल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकाध्यक्ष का कक्ष, कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में सिद्ध, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की	100	200

	दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। पुस्तकों की संख्या छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बेंचों के प्रवेश से पूर्व पांच हजार तथा छात्रों के चतुर्थ बेंच के प्रवेश से पूर्व सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेंगी। पांच वर्ष अथवा अधिक के लिए विद्यमान महाविद्यालय दस हजार पुस्तकें रखेगा।		
5.	शिक्षण विभाग: तेरह शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए कक्ष, एक छोटा विभागीय पुस्तकालय, एक छोटा कार्यालय, गैर शिक्षण स्टाफ हेतु कार्य स्थान तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:-	कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:	कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:
(i)	सिद्ध मरूथवम् मूलाथाथुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ii)	उद्दल कुरुगल विभाग तथा इसके अतिरिक्त एक हवादार शवच्छेदन हॉल, पर्याप्त लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतित (फ्रीजर) सहित शव का संलेपन करने हेतु एक कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनोटमी प्रयोगशाला सहित उद्दल कुरुगल संग्रहालय;	100	200
(iii)	उद्दल थाथुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित क्रिया शारीर (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला;	175	350
(iv)	गुणपदम मरूथियाल (सिद्ध फार्माकोलोजी एवं फार्माकोग्नोसी) विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति-संग्रहालय व द्रव्यगुण संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं;	100	200
(v)	गुणापदम मरूथुसईमुरियल (सिद्ध औषधभैषीजिका)	75	150
(vi)	नाईनादाल विभाग अतिरिक्त नाईनादाल (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला	75	150
(vii)	या तो कॉलिज में अथवा अस्पताल में वरमन, सिरापू मरूथुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त योग हॉल;	75	150
(viii)	सत्तम सारंथा मरूथूवा ननजू मरूथुवम विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय एवं शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ix)	मरूथुवम विभाग एवं शिक्षकीय कक्ष	50	100
(x)	कुजनधई मरूथुवम विभाग एवं शिक्षकीय कक्ष	50	100
(xi)	अरूवई, मरूथुवम् विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष तथा प्रयोगात्मक सर्जरी प्रयोगशाला;	75	150
(xii)	नोई अनुगा विधि विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष;	50	150
(xiii)	सूल, मगालीर मरूथुवम् विभाग एवं शिक्षकीय कक्ष; तथा	50	100
	<i>* टिप्पणी- सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिये तथा शेल्फ तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।</i>		
6.	शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की सिद्ध की औषधियां जैसे चूर्णम्, मथीरई, मेझुगु, गुग्गुलु, रसायन आदि तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषध का भण्डारगृह तथा इनहाउस - औषध एकीकरण होगा। औषधशाला की औषध परीक्षण प्रयोगशाला का प्रयोग शिक्षण हेतु भी किया जाएगा।	100	200
7.	सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त स्थान एवं प्रबन्ध सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष उपलब्ध होंगे।	50 छात्रों हेतु +50 छात्राओं हेतु	100 छात्रों हेतु + 100 छात्राओं हेतु
8.	कैन्टीन: कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100
	कुल योग	2,000/-	4,000/-

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक सिद्ध कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सशर्त अनुमति हेतु, महाविद्यालय का कुल निर्मित क्षेत्र विनियम 5 में उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-III

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)
एक सिद्ध कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यान: 250 प्रजातियों के वनौषधि पौधों तथा पच्चीस से पचास वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का बगीचा कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक सिद्ध महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सशर्त अनुमति हेतु, औषधीय पौधों की न्यूनतम 150 प्रजातियां आवश्यक होंगी।

अनुसूची-IV

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)
सिद्ध कॉलेज चिकित्सालय के स्टाफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	पद	पात्रता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सा अधीक्षक	1. चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु पदधारी की अर्हता प्राध्यापक से कम नहीं होगी। अथवा 2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता पदेन चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, यदि वहाँ चिकित्सा अधीक्षक का पद है तो वहाँ जारी रहेगा।
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. अर्हता बी.एस.एम.एस. तथा नैदानिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा दस वर्षों के नैदानिक अनुभव सहित बी.एस.एम.एस. होगी। 2. शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।
3.	परामर्शदाता	1. नैदानिक विभाग, जिनमें स्वस्थवृत्त तथा योग विभाग सम्मिलित हों, के शिक्षक
4.	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	दो
5.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी /आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ / आर.एस.ओ)	05 (01 मरुथुवम्, 01 वरमन, पुरामारुथुवम् एवं सिरापुमरुथुवम्, 01 सूल मगालिर मरुथुवम्, 01 कुझांथर्द मरुथुवम् एवं 01 अरुवई मरुथुवम्)
6.	मैट्रन / परिचारिका अधीक्षक	एक
7.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाफ परिचारिकाएं	प्रति 10 शैथ्याओं के लिए एक
8.	वार्ड अनुकर्मि अथवा आया	प्रति 20 शैथ्याओं के लिए एक
9.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	दो
10.	ड्रेसर	दो
11.	भण्डारपाल	एक
12.	कार्यालय स्टाफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	दो
13.	डार्क रूम परिचारक	एक
	आधुनिक चिकित्सा स्टाफ	
14.	चिकित्सा विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
15.	शल्य विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
16.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
17.	विकृतिविज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
18.	संज्ञाहरण विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर

19.	नेत्र विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
20.	बाल (रोग) चिकित्सक	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
21.	विकिरणविज्ञानी	एक (संविदा पर एलौपैथिक विकिरण विज्ञान में स्नातकोत्तर)
22.	दंत चिकित्सा	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
23.	एक्स-रे तकनीशियन / विकिरण चित्रक	एक
24.	भौतिक चिकित्सक	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् थैरेपी अनुभाग के लिए स्टॉफ		
25.	वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् विशेषज्ञ	वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् शिक्षण विभाग के शिक्षक
26.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (सिद्ध)	एक
27.	वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् परिचारिकाएं	दो (एक पुरुष एवं एक महिला) क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त
28.	वर्मम, पुरामरूथुवम् सहायक	दो पुरुष तथा दो महिला
29.	योग शिक्षक / वर्मम विशेषज्ञ / हड्डी बैठाने वाला	एक (वर्मम, पुरामरूथुवम् एवं सिरापुमरूथुवम् से)
शल्यकर्म कक्ष एवं कारानूल चिकित्सा-विज्ञान अनुभाग का स्टॉफ		
30.	अरूवई मरूथुवम् एवं कारानूल थैरेपी विशेषज्ञ	अरूवई थोतामरूथुवम् विभागों के शिक्षक
31.	शल्यकर्म कक्ष परिचारक	एक
32.	मरहम पट्टी करने वाला	एक
33.	परिचारिका	एक, (क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)।
प्रसव कक्ष		
34.	सूल, मगालिरमरूथुवम् विशेषज्ञ	सूल, मगालिरमरूथुवम् विभाग के शिक्षक
35.	मिडवाइफ	एक
नैदानिक प्रयोगशाला		
36.	प्रयोगशाला तकनीशियन	दो
37.	चपरासी अथवा परिचारक	एक
शिक्षण औषधशाला तथा गुणता-परीक्षण प्रयोगशाला		
38.	औषधशाला अधीक्षक	गुणापदम् विभाग का शिक्षक
39.	चपरासी अथवा परिचर	एक
40.	कामगार	02
41.	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	एक (विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
42.	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	(विभाग में गैर शिक्षण स्टॉफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
	कुल: 3. साठ शय्याओं के अस्पताल हेतु 4. सौ शय्याओं के अस्पताल हेतु	उपर्युक्त अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर अट्टावन उपर्युक्त अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर बहत्तर

टिप्पणी:

1. साठ से अधिक शय्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेंकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।

3. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीकी स्टाफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, चोकीदार, धोबी, माली एवं रसोईया इत्यादि की सेवाएं बहिःस्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
5. सशर्त अनुमति हेतु, उपर्युक्त चिकित्सालय स्टाफ की कम से कम 80 प्रतिशत की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-V

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

सिद्ध कॉलेज शिक्षण स्टाफ का विवरण

क्रं. सं. (1)	शिक्षण विभाग (2)	शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक			61 से 100 छात्रों तक		
		(3)			(4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	सिद्ध मरुथुवा मूलाथायुवम्	1 अथवा 1	1	1 सिद्ध + 1 तामिज / 1 अंग्रेजी	1	1	1 सिद्ध + 1 तामिज / 1 अंग्रेजी
(2)	उदल कुरुगल (ऐनटोमि)	1 अथवा 1	1	1	1	1	1
(3)	उदल थायुवम	1 अथवा 1	1	1 सिद्ध + 1 बायोकेमिस्ट	1	1	1 सिद्ध + 2 बायोकेमिस्ट
(4)	गुणापदम्- मरुथुयाल	1 अथवा 1	1	1 सिद्ध + 1 बोटनिस्ट / फारमाकोलोसिस्ट	1	1	1
(5)	गुणापदम् मरुनथाकवियाल	1 अथवा 1	1	1	1	1	2
(6)	नोई नादल एवं नाई मुधाल नादल	1 अथवा 1	1	1	1	1	1
(7)	सत्तम सारंथा मरुथुवमम् नंजू मरुथुवमम्	1 अथवा 1	1	1	1	1	1
(8)	सूल एवं मगालीर मरुथुवम्	1 अथवा 1	1	1	1	1	1
(9)	मरुथुवम्	1 अथवा 1	1	1	1	1	1
(10)	अरुवई, मरुथुवम्	1 अथवा 1	1	1	1	1	1
(11)	कुडंथई मरुथुवम्	1 अथवा 1	1	1	1	1	1
(12)	वर्मम, सिराप्पूमरुथुवम् (वर्मम एवं स्पेशल मेडिसिन)	1 अथवा 1	1	1	1	1	2
(13)	नोई अनूगा विधि	1 अथवा 1	1	1	1	1	1
		13		15	13	13	19
कुल			28			45	

टिप्पणी:

- I. उक्त के अतिरिक्त अनुसूची -IV (क्रम संख्या 14 से 22) पर निर्दिष्ट वरमा, पुरामरुथुवम् विभाग में एक शिक्षक, अनुसंधान मेथोडोलॉजी एवं चिकित्सा-सांख्यिकीय के शिक्षण हेतु एक जैव-सांख्यिकीविद तथा आधुनिक चिकित्सा के आठ परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे।
- II. अंशकालिक शिक्षको की आवश्यकता विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति हेतु उपर्युक्त बिन्दु I में यथा उल्लिखित न्यूनतम कोई पांच होगी।
- III. साठ तक की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षको की कमी प्रत्येक तेरह विभागों में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या न्यूनतम दस विभागों में वितरित दस अध्यापकों अथवा प्रवाचकों से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण-स्वरूप - साठ तक की प्रवेश क्षमता

रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम सताईस संकाय रखने होंगे, जिनमें से न्यूनतम ग्यारह विभागों से न्यूनतम बारह प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।

- IV. इक्सठ से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षकों की कमी तेरह विभागों में न्यूनतम एक उच्च संकाय तथा एक व्याख्याता की उपलब्धता सहित कुल शिक्षकों के बीस प्रतिशत तथा कुल आवशकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या सतरह से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण-स्वरूप - इक्सठ से सौ सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम चालीस संकाय रखने होंगे, जिनमें से सभी तेरह विभागों में न्यूनतम सतरह प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।
- V. विभाग में जहाँ कहीं अतिरिक्त प्राध्यापक अथवा प्रवाचक उपलब्ध है, अतिरिक्त प्राध्यापकों पर प्रवाचक अथवा व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा तथा अतिरिक्त प्रवाचक पर व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा। उदाहरण-स्वरूप - इक्सठ से सौ स्नातकीय सीटों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालयों में, उदल कुरुगल विभाग में एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता की आवश्यकता हेतु यदि वहाँ तीन प्राध्यापक अथवा एक प्राध्यापक तथा दो प्रवाचक अथवा एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता है, तो महाविद्यालय इस विभाग में संकाय की आवश्यकता की पूर्ती कर रहा है तथा इस विभाग में संकाय की कोई कमी नहीं है।

अनुसूची-VI

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेदिक कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ का विवरण

क्र. सं. (1)	विभाग (2)	पद (3)	आवश्यकता (4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	एक
2	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टॉफ	चार
3.	सिद्ध मरुथुवा मूलाथाथुवम् (फार्माक्यूटिकल्स)	परिचर	एक
4.	गुणापदम्- मरुनथाकवियाल (फार्माक्यूटिकल्स)	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक परिचर	एक एक एक
5.	उदल कुरुगल	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक परिचर-कम संग्रहालयपाल	एक एक एक
6.	गुणापदम् थाथुवम्	प्रयोगशाला तकनीशियन परिचर - कम संग्रहालयपाल	एक एक
7.	गुणापदम् मरुथुयाल	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक	एक एक
8.	नोई नदाल एवं नोई मुधल नदाल	प्रयोगशाला तकनीशियन परिचर	एक एक
9	स्वस्थवृत्त एवं योग	संग्रहालयपाल परिचर	एक एक
10	सत्तम सारंथा मरुथुवम् एवं नंजू मरुथुवम्	परिचर - कम संग्रहालयपाल	एक
11	मरुथुवम्	परिचर - कम संग्रहालयपाल	दो
12.	वर्मम एवं सिराप्पूमरुथुवम्		
13.	सूल, मगालिर मरुथुवम्		
14.	कुञ्जथई मरुथुवम्		
15.	अरुवई, थोल मरुथुवम्		
16.	वनौषधि उद्यान	माली बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	एक दो
	कुल	28	

टिप्पणी:- (सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है)

टिप्पणी: सशर्त अनुमति हेतु, उपर्युक्त के न्यूनतम अस्सी प्रतिशत तकनीकी तथा अन्य स्टॉफ की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-VII

[विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 तथा विनियम 11 देखें]

(क) गुणपदम्- मारुथुयाल प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	फील्ड मैग्निफायर	एक	एक
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप	एक	एक
3.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप	एक	एक
4.	माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
5.	इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेन्स	एक	दो
विविध			
1.	कवर स्लिप्स सहित स्लाइड बॉक्स	वर्गीकृत	
2.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर	वर्गीकृत	
3.	डिसेक्शन बॉक्स	वर्गीकृत	
4.	इनेमल ट्रेज़	वर्गीकृत	

(ख) शव विच्छेदन कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	यंत्र एवं उपकरण	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता तक
अनिवार्य			
1.	2-4 शव रखने हेतु टैंक	वर्गीकृत	
2.	बोन एवं ब्रेन के लिए सेक्शनिंग मशीन	वर्गीकृत	
3.	डिसेक्शन सेटस	पंद्रह सेटस	पच्चीस सेटस
4.	डिसेक्शन टेबल		
क)	फुल साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल टाप स्टेनलेस	चार	छः
ख)	हाफ साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल टाप स्टेनलेस	आठ	दस
सामान्य			
5.	एक्स-रे व्यूइंग वाक्स अथवा पैनल	तीन	तीन
विविध			
6.	बोन कटर नं. 3/4, 1/2, 1/4, 1/8-फाईन प्वाइंटेड चेजल बोन डिसेक्टर	वर्गीकृत	
7.	बाल्टी और मग	वर्गीकृत	
8.	ग्लव्स पाउडर	वर्गीकृत	
9.	सर्जिकल ग्लव्स	वर्गीकृत	
10.	सर्जिकल ब्लेड	वर्गीकृत	
11.	सबुन	वर्गीकृत	
12.	डिस्पोसेबल सिरिंज - 20 सीसी, 10 सीसी, 5 सीसी	वर्गीकृत	
13.	तौलिया	वर्गीकृत	
14.	कूडादान	वर्गीकृत	
15.	फर्निचर और अन्य उपकरण	वर्गीकृत	
16.	वॉश बेसन	वर्गीकृत	
17.	संरक्षण हेतु रसायन	वर्गीकृत	
18.	विभिन्न माप के कांच के जार	वर्गीकृत	

(ग) क्रिया (उदल थायुवम्) प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	ऑयल इमर्सन सहित माइक्रोस्कोप	तीस	पचास
2.	वैस्टरग्रेन पिपेट	साठ	सौ
3.	हिमेटोक्रिट ट्यूब	साठ	सौ
4.	साहिल्लस हिमोग्लोबिन मिटर	साठ	सौ
5.	हिमोसाइटो मिटर	साठ	सौ
6.	स्टेथोस्कोप	साठ	सौ
7.	क्लिनिकल थर्मोमिटर	साठ	सौ
8.	नी हैमर	साठ	सौ
9.	ट्रनिंग फोर्कस	साठ	सौ
10.	इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफ		
11.	स्टॉप वॉचस	साठ	सौ
12.	वॉटर डिस्टीलेशन स्टील	एक	एक
13.	बैलेन्स	एक	एक
14.	सेंट्रिफ्यूज स्पीड कंट्रोल के साथ	एक	एक
15.	कोलोरिमिटर (फोटोइलैक्ट्रिक)	एक	एक
16.	पी एच मिटर (इलैक्ट्रिक)	एक	एक
17.	पी एच कमपैरेटर वीड डिस्क	एक	एक
18.	स्टरलाइजर	एक	एक
19.	बी पी एपैरेटस	साठ	सौ
20.	वेंडिंग मशीन	एक	एक
21.	पीकफ्लो	एक	एक
सामान्य यंत्र			
22.	रेफ्रीजरेटर	एक	एक
23.	न्यूटन्स कलर व्हील एक बैच में	एक	एक
विविध			
24.	कवर स्लीप, ग्लासवेयर, माइक्रो स्लाइडस (वर्गीकृत)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
25.	रिएजेंस	वर्गीकृत	वर्गीकृत
26.	टॉर्च	वर्गीकृत	वर्गीकृत
27.	मेजरिंग टेप	वर्गीकृत	वर्गीकृत

(घ) गुणपदम् - मास्काकवियल (फार्माक्यूटिकल्स) प्रयोगशाला (अध्यापन प्रयोगशाला) के लिए उपकरण और यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	खल्व यंत्र		
(क)	छोटा	दस	बीस
(ख)	मध्यम	दस	बीस
(ग)	पोर्सेलेन	दस	बीस
(घ)	तप्त खल्व यंत्र	दो	चार
2.	यंत्र		
क)	थुला यंत्र	एक	एक
ख)	वालुका यंत्र	एक	एक
3.	डिस्टिलेशन एप्रेटस	तीन	छः
4.	पुदम् (विभिन्न प्रकार के)	पांच	दस

5.	मूषा (कृसिबल्स)	तीस	पचास
6.	पाउडिंग एप्रेटस	दस	दस
7.	शुरूथी बलोवर सहित	दो	चार
सामान्य			
8.	हीटिंग डिवाइज		
(क)	गैस स्टोव	वर्गीकृत	
(ख)	हॉट प्लेट	वर्गीकृत	
(ग)	चूल्हा (चारकोल)	वर्गीकृत	
9.	तुला (विभिन्न क्षमता)		
क)	फिजिकल	एक	एक
ख)	केमिकल	एक	एक
ग)	इलेक्ट्रॉनिक बेलेंस	एक	एक
10.	बड़े पात्र एवं धारक		
(क)	पीतल	वर्गीकृत	
(ख)	ताम्र	वर्गीकृत	
(ग)	स्टील इत्यादि	वर्गीकृत	
11.	रेफ्रीजरेटर	एक	एक
12.	वेट ग्राइंडर	एक	एक
13.	मिक्सी	एक	एक
14.	जूस एक्सट्रेक्टर	एक	एक
15.	पाइरोमिटर	वर्गीकृत	
16.	थर्मामिटर	वर्गीकृत	
17.	प्रेसर कूकर	वर्गीकृत	
18.	अर्थन वैसेल	वर्गीकृत	
19.	विभिन्न माप (कांच) के मापक उपकरण	वर्गीकृत	
विविध			
20.	सइवस (वर्गीकृत संख्या एवं प्राकर)	वर्गीकृत	
21.	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन के उद्देश्य से	वर्गीकृत	
22.	पात्र	वर्गीकृत	
(क)	फ्राइंग पेन	वर्गीकृत	
(ख)	स्टील वेसल	वर्गीकृत	
(ग)	स्पैटुला	वर्गीकृत	
(घ)	लैडल्स एवं स्पून्स	वर्गीकृत	
(ङ)	नाइफ	वर्गीकृत	

(च)	प्लेटस	वर्गीकृत
23.	इनेमल ट्रे	वर्गीकृत
24.	स्पीरिट लैम्प	वर्गीकृत
25.	अलमारी और रैक्स भंडारण हेतु	वर्गीकृत

(ड.) नोई नदाल (पैथोलोजी) प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्रं.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	वाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
2.	ऑयल इमर्सन सहित माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
3.	ऑयल इमर्सन लेंस 20 (ई) सहित मेनोकुलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
4.	एक्स रे व्यू बाक्स	एक	एक
5.	साहली की स्क्वेयर ट्यूब	तीस	पचास
6.	एच.बी. पिपेट	तीस	पचास
7.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट	तीस	पचास
8.	ड्रॉपर	तीस	पचास
9.	रैड सेल पिपेट	तीस	पचास
10.	इम्पूव्ड न्योबार चैम्बर	तीस	पचास
11.	इन्क्यूबेटर	एक	दो
12.	विन्ट्रॉब ट्यूब	तीस	पचास
13.	पास्चर पिपेट	तीस	पचास
14.	सैन्ट्रिफ्यूज ग्रेजुएटेड मशीन	एक	दो
15.	वैस्टरग्रेन पिपेट	तीस	पचास
16.	वैस्टरग्रेन स्टेण्ड	तीस	पचास
17.	यूरिनोमीटर	तीस	पचास
18.	आटोक्लेव	एक	एक
19.	अल्ट्रावायलेट लैम्प	एक	एक
20.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एक	एक
21.	बी.पी. एप्रेटस	तीस	पचास
22.	स्टेथस्कॉप	तीस	पचास
23.	थर्मामीटर	तीस	पचास
24.	टंग डिप्रैसर	तीस	पचास
25.	स्टॉप वाच	तीस	पचास
सामान्य			
26.	फिजिकल बैलेन्स	एक	एक
27.	हॉट एयर ओवन	एक	एक
28.	बुनसन बर्नर	तीस	पचास
29.	रेफ्रिजरेटर	एक	एक
विविध			
30.	नमूने एकत्र करने हेतु स्टेराइल वैसल/ बोतल	वर्गीकृत	
31.	टार्च	वर्गीकृत	
32.	नी हेमर	वर्गीकृत	
33.	मापक फीता	वर्गीकृत	
34.	ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट	वर्गीकृत	
35.	रिफ्लैक्टर (मिरर)	वर्गीकृत	
36.	वेइंग मशीन	एक	एक
37.	ट्यूनिंग फार्क	वर्गीकृत	
38.	नेजल स्पेक्युलम	वर्गीकृत	

39.	लेरिंजोस्कोप	वर्गीकृत
40.	कैथेटर्स	वर्गीकृत
41.	प्रोब्स	वर्गीकृत
42.	एचबीएस ए.जी. किट	वर्गीकृत
43.	एचआईवी किट-ट्राईडोट (टी मित्रा के तरीके से)	वर्गीकृत
44.	सीटी एवम् बी.टी.किट	वर्गीकृत
45.	रीनल प्रोफाइल, एलएफटी किट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर किट	वर्गीकृत
46.	स्टेराइल डिस्पोसेबल लैन्सर/निडिल	वर्गीकृत
47.	ग्लास रोड	वर्गीकृत
48.	सिरिंज नीडिल डेस्ट्रॉयर	वर्गीकृत
49.	कवर स्लिप	वर्गीकृत
50.	साफ स्लाइड	वर्गीकृत
51.	लिटमस पेपर	वर्गीकृत
52.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स	वर्गीकृत
53.	टेस्ट ट्यूब	वर्गीकृत
54.	विभिन्न मापों की पृथक करने हेतु फनल	वर्गीकृत
55.	विभिन्न माप के ढक्कन सहित कांच के जार	वर्गीकृत
56.	कैपिलरी ट्यूब	वर्गीकृत
57.	रबर शीट	वर्गीकृत
58.	मैग्नीफाइंग लेंस	वर्गीकृत
59.	वॉटर बाथ	वर्गीकृत
60.	मल्टी स्टिक्स	वर्गीकृत

(च) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

क्रं.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	अपेक्षित मात्रा
1.	शैडोलेस लैम्प	एक
2.	सक्शन मशीन (नियोनेटल)	एक
3.	ऑक्सीजन सिलिंडर एवं मास्क	एक
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ	एक
5.	रेडिएन्ट वार्मर	एक
6.	फोटो थैरेपी यूनिट	एक
7.	वेइंग मशीन (बच्चों की)	एक
8.	रोगी हेतु ट्रॉली	एक
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली	एक
10.	एन्फेन्टोमीटर	एक
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर	एक
12.	फीटल डॉपलर	एक
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स	दो
14.	स्टरलाइजर	दो
15.	मशीनोटोस रबर शीट	वर्गीकृत
16.	लेबर एवं इपिसियोटोमी के लिए उपकरण (सीजर, फोरसेप्स, नीडल होल्डर इत्यादि)	वर्गीकृत
17.	बेबी ट्रे	दो
18.	निबूलाइजर	एक
19.	फीटोस्कोप	पांच
20.	ऑटो क्लेव	एक
21.	ड्रम	वर्गीकृत
22.	इन्सट्रूमेंटल ट्रॉली	वर्गीकृत
23.	ऑपरेशन टेबिल सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित	एक
24.	पल्स ऑक्सीमीटर	एक

25.	रिसक्सीसिटेशन किट	एक
26.	बॉयलस एप्रेटस	एक
27.	इलैक्ट्रोकोर्टरी	एक
28.	एमटीपी सक्सन मशीन	एक
29.	एनस्थीसिया किट	एक
30.	ब्लन्ट एण्ड शार्प क्युरेटर	दस
31.	डायलेटर सैट (हैंगर एण्ड हॉकिन्स)	पांच
32.	सिम्स स्पैकुलम	पांच
33.	सिस्कोज स्पैकुलम	पांच
34.	एन्टीरियर वैजाइनल वाल रिट्रेक्टर	पांच
35.	यूटराइन साउन्ड	पांच
36.	वालसैलम	पांच
37.	एमटीपी सक्सन क्युरेट	पांच
38.	रिट्रेक्टर्स एब्डोमिनल (डोइन इत्यादि)	पांच
39.	स्पंज हॉल्डिंग फोरसेप्स	पांच
40.	ग्रीन अर्मीटेज फारसेप्स	पांच
41.	यूटेरस हॉल्डिंग फारसेप्स	पांच
42.	क्रोचर्स फॉरसेप्स	पांच
43.	आरट्री फॉरसेप्स (लॉग, शॉर्ट, मास्क्यूटो) प्रत्येक	पांच
44.	विभिन्न आकार की कैंची	पांच
45.	फारसेप्स आब्स्ट्रैटिक	पांच
46.	एन्डोट्रेक्रियल ट्यूब	पांच
47.	कॉर्ड काटने का उपकरण	पांच
48.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक	पांच
49.	ब्लैडर साउन्ड	पांच
50.	वीपी एप्रेटस	दो
विविध		
51.	आपातकालीन रोगी के लिए एच आई वी किट	वर्गीकृत
52.	प्लेन एवम् होल टॉवल	वर्गीकृत
53.	टॉवल क्लिप्स	वर्गीकृत
54.	कटगट्स एवम् थ्रेड	वर्गीकृत
55.	नीडिल	वर्गीकृत
56.	नीडिल होल्डर्स	वर्गीकृत

(छ) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	अपेक्षित मात्रा
अनिवार्य		
1.	स्पॉट लाइट (शैडोलेस सिलिंग फिटेड)	एक
2.	नीडिल हॉल्डिंग फारसेप्स (बड़ी-छोटी-मध्यम)	चार प्रत्येक
3.	वर्गीकृत आकार के ड्रेसिंग ड्रम	दो प्रत्येक
4.	ड्रम स्टैण्ड	दो प्रत्येक
5.	आई.वी. स्टैण्ड	दो
6.	सीधी कैंची (टेलर)	चार
7.	विभिन्न साइज की कर्वड सीजर	पांच प्रत्येक
8.	स्टिच रिमूवल सीजर्स	पांच प्रत्येक
9.	पाइन्टेड सीजर्स	चार
10.	डिसैक्शन फॉरसेप्स	चार
11.	साइनस फॉरसेप्स	चार
12.	स्टिच निडिल	बीस

13.	प्रोब्स एसोर्टिड साईज	पांच प्रत्येक
14.	आर्टरी फॉरसेप्स (बिग, स्मॉल, मिडियम)	चार
15.	बैरन पाइल्स गन	दो
16.	ऑटोक्लेव	एक
17.	ऑपरेशन टेबल	एक
18.	प्रोक्टो स्कोप विभिन्न प्राकर के	दो
19.	गैबरियल सिरिंज	एक
20.	नेजल स्पैकुलम	चार
21.	इअर स्पैकुलम	चार
22.	आई वॉश ग्लास	दस
23.	ओरल सिरिंज	वर्गीकृत
24.	कारानूल- मेडीक्रेटेड धागा	वर्गीकृत
25.	सलागाई	दस
26.	इलैक्ट्रिक स्टरलाइजर	दो
27.	वैपोलाइजर	एक
28.	निबूलाइजर	दो
सामान्य		
29.	इमरजेंसी पावर बेक अप सुविधा	वर्गीकृत
30.	इमरजेंसी लाइट	चार
31.	फायर एक्सटिंग्विशर	दो
32.	बी.पी.एप्रेटस	दो
33.	रैफ्रिजरेटर	एक
34.	एक्स-रे व्यू बॉक्स(डबल)	दो
35.	रिवाल्विंग स्टूल	छः
36.	वर्टीकल बी.पी. इस्ट्रुमेंट	एक
37.	रबर केथेटर्स	वर्गीकृत
विविध		
38.	विभिन्न आकार के सूचरिंग नीडिल (स्ट्रेट/कर्वड)	वर्गीकृत
39.	सर्जिकल थ्रैड	वर्गीकृत
40.	विभिन्न आकार के बी पी.हेन्डल	वर्गीकृत
41.	निडिल होल्डर	वर्गीकृत
42.	कीडनी ट्रे	वर्गीकृत
43.	विभिन्न प्रकार के सर्जिकल ब्लेड	वर्गीकृत

(ज) बहिरंग रूपण विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	बहिरंग रूपण विभाग का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं	आवश्यक मात्रा
1.	मारुथुवम् (मेडिसिन)	अनिवार्य	
		एक्स-रे व्यूइंग बाक्स	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो
		स्टेथोस्कोप	चार
		वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड	एक
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		थर्मामीटर	दो
		टंग डिप्रेसर	दस
		मेजरिंग टेप	दो
		टार्च	एक
		नी हेमर	दो

2. वर्मम, पुरामाख्युवम् और सिराप्पूमाख्युवम् (वर्मम थैरेपी, एक्टनल थैरेपी और स्पेशल मेडीसिन)	अनिवार्य	
	एक्स-रे व्यूइंग बाक्स	एक
	बी.पी. एप्रेटस	दो
	स्टेथोस्कोप	चार
	एग्जामिनेशन टेबल	एक
	थर्मामीटर	दो
	टंग डिप्रेसर	दस
	टार्च	एक
	मेजरिंग टेप	दो
	वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड	एक
नी हेमर	दो	
3. अरुवई, थोल मरुथुवम्, (सर्जरी, डरमैटोलोजी)	अनिवार्य	
	स्टेथोस्कोप	चार
	एग्जामिनेशन टेबल	एक
	एनोरेक्टल एग्जामिनेशन के लिए उपकरण	दो सेट्स
	बी.पी. एप्रेटस	दो
	एक्स-रे व्यूइंग बाक्स	एक
	चीटलीस फोरसेप	चार
	टार्च	एक
	सामान्य	
	माइनर ओ टी	वर्गीकृत
विविध		
सर्जिकल ब्लेडस	वर्गीकृत	
4. सूल, मगालीर मारुथुवम् (ओब्सटेट्रीक्स और गाइनेकोलोजी)	अनिवार्य	
	वेइंग मशीन	एक
	लैम्प स्टैण्ड	एक
	सिम्स स्पैक्यूलम	दो
	कस्कोस स्पैक्यूलम	दो
	टार्च	दो
	एक्स-रे व्यूइंग बाक्स	एक
	बी.पी. एप्रेटस	दो
	स्टेथोस्कोप	चार
	एग्जामिनेशन टेबल	एक
मेजरिंग टेप	दो	
5. कुञ्जथई मारुथुवम् (पिडियाट्रिक्स)	अनिवार्य	
	स्केल (बेबी वेइंग)	एक
	टार्च	दो
	एक्स-रे व्यू बाक्स	एक
	थर्मामीटर	चार
	पिडिएट्रिक कफ सहित बी.पी. एप्रेटस	दो
	स्टेथोस्कोप	चार
	एग्जामिनेशन टेबल	एक
स्केल ऊंचाई मापने हेतु	एक	
6. अवसारा मरुथुवम् (कैजूअल्टी)	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, यंत्र, फर्नीचर इत्यादि)	वर्गीकृत

क.नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

fVli .kh% अग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016.

No.18-12/2016-Siddha (M.S.R.) -In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, to regulate the requirement of colleges for education in Siddha system of medicine, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
- (b) "college" means an Under-graduate Siddha College or Institute;
- (c) "attached hospital" means a teaching Siddha hospital attached to the college;
- (d) "Central Council" means the Central Council of Indian Medicine.

(2) The words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Requirements of Minimum standard to grant of permission.- (1) (a) The Siddha colleges established under section 13A and existing under section 13C of the said Act and their attached hospitals shall fulfill the requirements of minimum standard for infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 upto the 31st December of every year for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic session;

(b) the Central Council shall visit the college *suo moto* three months before the expiry of permission;

(c) the proforma of visit as prescribed by the Central Council on its website shall be filled online by the colleges and visitors respectively followed by submission of a hard copy of the same as per visitors guidelines issued by Central Council from time to time;

(d) the videography and photography of staff and infrastructure during the visit shall be made by the visitors and submitted along with detailed report and observations to the Central Council;

(e) after submission of online detailed report and observations by the visitors to the Central Council, the Central Council shall submit its recommendation along with detailed report to the Central Government within a period of one month from the submission of report by the visitors;

(f) the Central Council shall certify that teaching faculty present in the college is not working at any other place;

(g) the position prevailed on the date of visit to assess the fulfilment of requirements as specified in these regulations except sub-regulation (2) of regulation 7 shall be taken into consideration for grant of conditional permission or permission for a period of five years to the colleges.

(2) **Requirements of Minimum Standard to grant of permission for a period of five years-** (a) After fulfilment of the requirement as per these regulations by the college, the permission shall be granted to undertake admissions for a period of five years. The college shall be randomly inspected within the said period on receipt of any complaint; or if from online Bio-metric attendance it is found that teaching, non-teaching staff, hospital staff not present regularly, or hospital is not properly functional, or otherwise as required by the Central Government or by the Central Council;

- (b) any deficiencies arising within the said period shall be fulfilled by the college within hundred-fifty days under intimation to the Central Council otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn;
- (c) colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 to 2018-19 and 2015-16 to 2019-20 shall be maintain the requirements as specified under the regulations 4 to 11 otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn.

(3) **Requirements of Minimum Standard to grant of conditional permission of one year.-** (a) The conditional permission of one year for particular academic session shall be granted only to those colleges which are fulfilling following requirements on the basis of the inspection by the Central Council between the 31st December to the 31st March for the succeeding academic session:

- (i) the requirement of teachers as specified in the Schedule-V;
- (ii) the requirement of teaching hospital as specified under sub-regulation (2) of regulation 7;
- (iii) availability of minimum seventy-five percent. of required equipment as specified in the Schedule-VII;
- (iv) availability of herbal garden as specified in the Schedule-III;
- (v) availability of hospital staff as specified in the Schedule-IV,
- (vi) availability of technical and other staff as specified in the Schedule-VI;
- (vii) availability of college council as specified at sub-regulation (1) of regulation 9;
- (viii) availability of college website as specified in sub-regulation (2) of regulation 9;
- (ix) availability of biometric attendance as specified in sub-regulation (3) of regulation 9; and
- (x) availability of minimum constructed area of college and hospital as specified in regulation 5.

- (b) the colleges, which have been granted conditional permission or which have been denied permission for the academic session 2015-16 shall be required to fulfill the requirements as specified above in clause (a) to obtain the conditional permission of one year for particular academic session or for a period of five years as specified in the regulations 4 to 11.

4. Requirement of Land.- (1) The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats.

- (2) For intake capacity from sixty-one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilometers, and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land.
- (3) The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules.
- (4) For permission of the Central Government, a certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which shall be accommodated in the piece of land, must be provided at the time of applying.
- (5) The land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.
- (6) The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003, but at the end of the current lease period, such colleges shall either own the land or get it on the lease for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory.

5. Requirement of minimum constructed area.- (1) The college and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty seats.

- (2) The college and attached hospital which have intake capacity of sixty-one to hundred seats shall have the constructed area of four thousand and three thousand and five hundred square meters, respectively.
- (3) The college and hospital shall be constructed in separate buildings as per the details specified in the Schedule-I and the Schedule-II and the requirement of separate college and hospital buildings shall be applicable only to the colleges established after the 19th February, 2013.

- (4) The college shall also maintain other infrastructural requirements such as sufficient accommodation for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital.
- (5) The herbal garden shall have the minimum area as prescribed in the Schedule-III.

6. Admission Capacity.- The annual intake capacity of the colleges shall be in the slabs of sixty and hundred. The colleges having intake capacity of less than sixty or sixty-one to hundred seats, shall comply the requirements for sixty or hundred seats respectively, as specified in Schedules-I to VII.

7. Requirements of teaching Hospital.- (1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union territory shall issue the No Objection Certificate to such applicant colleges after verifying the availability of such permission(s) or clearance(s).

- (2) **Requirement of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance:** The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 1:1, forty per cent. and 1:2 respectively, as given in Table below and the distance between two beds in general ward shall not be less than one and a half meter.

Table

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In-Patient Department on the 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In-Patient Department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year (300 days) (1:2 student-patient ratio)
Upto sixty students	60 beds	24	120
Sixty-one to hundred students	100 beds	40	200

To calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient. The bed occupied by a patient at mid-night, shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

$$\frac{\text{Number of bed days occupied} \times 100}{\text{Number of beds} \times \text{Number of days}}$$

- (3) **Maintenance of record of attendance of Out-Patient Department and In-Patient Department patients:** (i) The College and hospital shall maintain the web based computerized central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department. The college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records, case papers of Out-Patient Department and In-Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates etc. so as to substantiate the claim of genuine functional Siddha hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7.
- (ii) For conditional permission, the College and hospital shall maintain the computerized central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department, the college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records to substantiate the claim of genuine functional Siddha hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 and the computerized central registration system shall be web based from the 1st December, 2016. Colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall be required to maintain web based computerized central registration system from the 1st December, 2016.
- (4) **Space requirement:** The hospital shall accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department and wards in addition to reception, patient's waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, hospital side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Karanool therapy section, operation theatre, labour room, store rooms, separate wards for male and female, duty rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. required for a fully functional hospital, and the specification of built-up area in the attached hospital shall be as per the Schedule-I.

- (5) **Out-Patient Department:** The hospital shall have minimum six following Out-Patient Departments, namely:-
- Maruthuvam (Medicine);
 - Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special Medicine);
 - Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology);
 - Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery and Dermatology);
 - Kuzhanthai Maruthuvam (Padiatrics); and
 - Avasara Maruthuvam (Casualty).
- (6) **In-Patient Department:** The In-Patient Department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under –

In-Patient Departments	Distribution	60 beds	100 beds
Maruthuvam (Medicine) and Varmam, Pura Maruthuvam and Sirappu Maruthuvam (Varmam Therapy, External Therapy and Special Medicine)	50 %beds	30	50
Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) and Kuzhanthai Maruthuvam (Padiatrics)	25 %beds	15	25
Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery and Dermatology)	25 %beds	15	25

- (7) **Noi Naadal, Sattam Saarntha Maruthuvamum, Nanju Maruthuvamum Laboratories (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations):** There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with infrastructure and manpower as specified in the Schedule I, the Schedule II, the Schedule-IV, the Schedule-V and the Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Siddha diagnostic techniques on the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital.

- (8) **Hospital Staff:** The minimum staff required for hospital shall be as specified in the Schedule-IV.

8. Requirements of College.- (1) (a) **Teaching Staff:** There shall be minimum thirty full time teachers and forty-five full time teachers appointed on regular basis for admissions of up to sixty students and sixty-one to hundred students respectively with the addition of ten part time teachers (eight teachers of Modern Medicine, one Yoga teacher and one Bio statistician) for each slab as specified in the Schedule-V, the teacher fulfilling the eligibility norms of the related teaching post or subject teacher shall be appointed on deputation or contractual basis.

- (b) **Age of superannuation of teachers:** The age of superannuation of teachers shall be as per the order of Central Government or State Government or University Grant Commission. The retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full time teacher.

- (c) The detail of every teacher such as academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions, date of joining shall be at the website of college.

- (d) The list of all teachers with complete detail such as Code allotted by the Central Council, academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions and present institute, shall be displayed at the website of the Central Council.

- (2) **Requirement of technical and other staff:** Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in the Schedule-VI.

9. Miscellaneous requirements.- (1) **College Council:** (a) Every medical college or medical institution shall have a College Council comprising of the Head of departments as members and Principal or Dean as Chairperson;

- (b) the College Council shall meet minimum four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters; and

- (c) the College Council shall also organise interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.

- (2) **College Website:** Each and every college or institute shall have its own website, wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-

- (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and State Trunk Dialing code, fax and E-mail etc.;
 - (b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc.;
 - (c) details of non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
 - (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduate;
 - (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise for the current and previous year;
 - (f) any research publications during the last one year;
 - (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
 - (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
 - (i) details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;
 - (j) result of all the examinations of last one year;
 - (k) detailed status of recognition of all the courses;
 - (l) details of clinical material in the hospital;
 - (m) the College website shall be linked with the Central Council website, which shall be linked to the Ministry's website as well; and
 - (n) the Month-wise analysis of attendance of teaching, non-teaching college staff, hospital staff, students and Patients in Out-Patient Department and In-Patient Department shall be displayed on College website.
- (3) **Biometric Attendance:** (i) There shall be web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (ii) For conditional permission biometric attendance shall be web based and CRC linked from the 1st December, 2016.
 - (iii) The colleges which were granted permission for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall maintain web based and CRC linked biometric attendance from the 1st December, 2016.

10. Phase-wise specific requirements of new colleges.- (1) A Siddha college seeking permission for starting Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish infrastructure and manpower as given below:

- (a) Before admission of the first batch of students, the college shall have-
 - (i) at the time of submission of application, a fully developed hospital building as specified in regulations 4 and 5 with functional Siddha hospital prior two years from the date of application, having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualifications as specified in Regulation 8 and non-teaching staff as specified in the Schedule-VI, which are required for first professional year of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, Magalir Maruthuvam; Kuzhanthai Maruthuvam and Aruvai Maruthuvam appointed for operating the teaching hospital and the experience of specialist doctor or clinical teacher shall be considered as a teacher from the date of appointment of the specialist doctor or two years prior to submission of application by the applicant to the Central Government to establish a college whichever is lesser;
 - (iv) a library with two thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in the Schedule - VI;
 - (v) well-equipped and furnished two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year of teaching as specified in the Schedules - I to VII;
 - (vi) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land and four thousand square meter of land for upto sixty seats and sixty-one to hundred seats respectively with plantation of minimum one hundred species of medicinal plants;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in the Schedule-IV; and
 - (viii) web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

- (b) Before the admission of the second batch of students, the college shall have-
- (i) a functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first and the second professional years of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, Magalir Maruthuvam; Kuzhanthai Maruthuvam and Aruvai Maruthuvam departments for working in the college hospital;
 - (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in the Schedule – VI;
 - (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years of teaching as specified in the Schedules - I to VII;
 - (vi) minimum one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
 - (viii) there shall be a Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory attached to Department of Gunapadam-Maruthiyal (Pharmacology) and Gunapadam- Marunthakaviyal (Pharmaceuticals), with minimum area as specified in Schedule-II and equipment as specified in Schedule-VII, for preparation of medicine as per syllabus; and
 - (ix) web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (c) Before the admission of third batch of students, the college shall have-
- (i) a functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second and third professional years of teaching and training shall be appointed and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or clinical teacher in each of Maruthuvam; Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam; Sool, Magalir Maruthuvam; Kuzhanthai Maruthuvam and Aruvai Maruthuvam departments for working in the college hospital;
 - (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in the Schedule - VI;
 - (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years of teaching as specified in the Schedules - I to VII;
 - (vi) minimum two hundred species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
 - (viii) a Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory attached to Department of Gunapadam-Maruthiyal (Pharmacology) and Gunapadam- Marunthakaviyal (Pharmaceuticals), with minimum area as specified in Schedule-II and equipment as per Schedule-VII, for preparation of medicine as per syllabus; and
 - (ix) web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (d) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-
- (i) a functional Siddha hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualification as mentioned in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second, third and fourth professional years of teaching and training shall be appointed;
 - (iii) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with the as specified in these regulations 4 to 11;
 - (iv) a library with seven thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in the Schedule - VI;

- (v) a fully developed medicinal plants garden as specified in Schedule - III;
- (vi) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities as specified in Schedules-I to VII;
- (vii) round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital; and
- (viii) web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (2) (a) The permission to establish a new medical college and admissions to the students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as specified above in sub- regulation (1).
- (b) It shall be the responsibility of the college to apply to the Central Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission.
- (c) This process of renewal of permission shall continue till such time the establishment of the new medical college is completed for passing-out of the first batch.
- (3) The person or Medical College who applies under Section 13A of the IMCC Act, 1970 for establishment of new medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity, shall be required to maintain web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked biometric attendance system for teaching staff and web based biometric attendance system for non-teaching college staff, hospital staff and web linked computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department of the hospital. These requirements for those applicants who applied in the year 2015 shall not be taken into consideration for issuance of the Letter of Intent but they shall be fulfilled these requirements before issuance of the Letter of Permission for the academic session 2016-17.

11. List of equipment, machineries, etc.— To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety per cent. of required equipment, machineries etc. in the teaching departments, hospital, laboratories, dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under Schedules-I to VII.

12. Date of completion of permission process and cut-off-date for admission in Siddha College.— (1) The process of grant or denial of permission to the Siddha colleges for taking admissions in Siddha colleges shall be completed by the 31st July of each academic session.

(2) The cut-off-date for admission in Siddha colleges shall be the 30th September of each academic session.

SCHEDULE-I

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF A SIDDHA COLLEGE

S.No.	Particulars	Built up area (in square meters)	
		Up to 60 students intake	61 to 100 students intake
1	2	3	4
I.	Total constructed area of hospital building	2,000	3500
II.	Hospital Administration Block:	100	150
1.	Superintendent room		
2.	Deputy Superintendent room		
3.	Medical officer's room (for 2 Resident Medical Officer/Resident Surgical Officer)		
4.	Matron room		
5.	Assistant Matron room (for 2)		
6.	Reception and Registration		
III.	Out-Patient Departments (OPD)	300	500
1.	Maruthuvam OPD		
2.	Varmam, and Sirappumaruthuvam OPD with Yoga demonstration area		
3.	Sool, Magalir Maruhuvam OPD toilet and Examination Room		
4.	Aruvai, Maruthuvam OPD with toilet and wash room		

5.	Kuzhandhai Maruhuvam OPD		
6.	Avasaramaruthuvam (Casualty) section with toilet and wash basin		
7.	Dressing and First Aid Room, Kaaranool therapy room		
8.	Dispensary		
9.	Waiting Space for patients		
10.	Store		
11.	Separate Male and Female Toilets for patients and Staff		
IV.	In-Patient Department (IPD)	1000	1850
1.	Maruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
2.	Maruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		
3.	Varmam, and Sirappumaruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
4.	Varmam, and Sirappumaruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		
5.	Sool, Magalir Maruthuvam Ward with attached toilet and bath room		
6.	Aruvai, Maruthuvam Male Ward with attached toilet and bath room		
7.	Aruvai, Thol Maruthuvam Female Ward with attached toilet and bath room		
8.	Kuzhandhai Maruthuvam Ward with attached toilet and bath room		
9.	Doctors' duty room one for each department with attached toilet and bath		
10.	Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached toilet-bath		
11.	Store room for linen, etc.		
V.	Operation Theatres Block	150	250
1.	Minor Operation Theatre		
2.	Labour Room with attached toilet and bath room		
3.	Neonatal care room		
4.	Central Sterilization or Autoclave Unit		
5.	Scrub room		
6.	Two Recovery room		
7.	Doctors' duty room with attached toilet and bath room		
8.	Interns'/house officers'/resident doctors' room with attached toilet and bath room.		
9.	Nursing staff room with attached toilet and bath room		
VI.	Varmam, Block:	175	300
1.	1.Varmam Arai (Male) 2.Varmam Arai (Female) 3.Thokkanam Arai (Male) 4.Thokkanam Arai (Female) 5.Neeravi Kuliya Arai (Male) 6.Neeravi Kuliya Arai (Female) 7.Peechu Arai(Male) 8.Peechu Arai(Female) 9.AttaiViduthal, Chuttigai etc. 10.Kaara nool therapy room		
2.	Varmam, Puramaruthuvam therapist or Physician's room		
3.	store room		
4.	Attached toilet-baths for males and for females with wash basin and geyser facility in each, which will be in addition to the toilets of wards.		
VII.	Clinical Laboratory: Well equipped with separate sections for Pathology, Biochemistry and Microbiology and the attached toilet shall be there for collection of urine samples and other latest diagnostic facilities such as ECG also shall be provided.	100	150
VIII.	Radiology/ Sonography section Radiology chamber with X-ray room, Dark room, film drying room, store room, Ultra Sonography room, patients waiting and dressing room, reception /registration/ report room	50	100
IX.	Hospital Kitchen and Canteen:	100	150

X.	Store room	25	50
	TOTAL	2,000	3,500

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total area of attached hospital shall be as per the area mentioned in regulation 5.
2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of a Siddha College with annual intake capacity of sixty-one to hundred students shall correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as mentioned in regulation 5.
3. The requirement of attached toilet with Out-Patient Department for the colleges shall be applicable for the colleges established after the 19th February, 2013.
4. For conditional permission, total constructed area of attached hospital of the college may vary within plus or minus twenty percent. as per the area mentioned in regulation 5.

SCHEDULE-II

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF A SIDDHA COLLEGE

S.No.	Particulars	Built up area (in square meters)	
		Up to 60 students intake	61 to 100 students intake
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Total constructed area of college building	2,000	4,000
(2)	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principal's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitors' lounge, Staff Committee Room, Clerks' room, Accounts section, Record room, Central Store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(3)	Lecture Halls: There shall be at least five Lecture halls, each having the area of not less than eighty square meter area for intake upto 60 seats and 160 square meter area for intake from 61 to 100 seats, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(4)	Seminar/Conference/Examination Hall: A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities.	150	300
(5)	Central Library: A central library shall have seating capacity for at least fifty persons for up to sixty intake capacity and eighty persons for 61 to 100 intake capacity, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier/video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand and five hundred books of different titles of Siddha, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand before the admission of second and third batches of students and seven thousand five hundred before the admission of fourth batch of students. The College with existence for five years or more shall have ten thousand books.	100	200
(6)	Teaching Departments: There shall be 13 Teaching Departments each with rooms for teachers, a small departmental library, a small office, working accommodation for non-teaching staff and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department.	Total 1200 square meters and break up may be as follows:	Total 2400 square meters and break up may be as follows:
	Department wise area requirement shall be as under:- (i) Siddha Maruthuva Moolathathuvam Department plus Departmental library cum	50	100

	tutorial room;		
	(ii) Udal koorugal Department with Dissection Hall having proper ventilation aroom for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Udal koorugal (Anatomy) museum with optional micro-anatomy laboratory;	100	200
	(iii) Udal thathuvam Department plus Physiology) laboratory and Biochemistry Laboratory;	175	350
	(iv) Gunapadam Marunthiyal (Siddha Pharmacology and Pharmacognosy) Department plus Herbarium-cum Medicinal botany museum and Pharmacognosy and Pharmacology labs;	100	200
	(v) Gunapadam Marunthuseimuariyal (Siddha Pharmaceuticals)	75	150
	(vi) Noinaadal Department plus Noinaadal (Pathology) Laboratory;	75	150
	(vii) Varmam, Sirappu Maruthuvam Department plus Yoga Hall either in college or in the hospital;	50	100
	(viii) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum Department plus museum cum tutorial room;	50	100
	(ix) Maruthuvam Department and tutorial room;	50	100
	(x) Kuzhandhai maruthuvam Department and tutorial room;	50	100
	(xi) Aruvai, Maruthuvam Department plus museum cum tutorial room and Experimental Surgery Laboratory;	75	150
	(xii) Noi anuga vidhi Department plus museum cum tutorial room;	50	100
	(xiii) Sool, magalirMaruthuvam department and tutorial room; and	50	100
	*Note- Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.		
(7)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Siddha Medicines like Chooranam, Mathirai, Mezhugu, Rasayanam etc., a raw drugs store and in-house drug identification. Quality Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	100	200
(8)	Common Rooms: Separate common rooms for boys and girls with adequate space and seating arrangement shall be available.	50 for boys +50 for girls	100 for boys +100 for girls
(9)	Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about 100 persons shall be available in the college premises.	50	100
	Total	2,000	4,000

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total area of a Siddha College shall be as per the area mentioned in regulation 5.
2. For conditional permission, total constructed area of the college may vary within plus or minus twenty per cent. as per the area mentioned in regulation 5.

SCHEDULE-III

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 10 and regulation 11]

ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF A SIDDHA COLLEGE

Sl. No. (1)	Particulars (2)	Area (in square meter)	
		Up to 60 students (3)	61-100 students (4)
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with two hundred and fifty species of medicinal plants and a demonstration room of twenty five to fifty square meters area and necessary implements shall exist with the college.	2500	4000

Note:

1. The above indicated area may vary within plus or minus twenty per cent. within the total area of Siddha college as specified in regulation 4.
2. For conditional permission, minimum hundred and fifty species of medicinal plants shall be required.

SCHEDULE-IV

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF A SIDDHA COLLEGE HOSPITAL STAFF

S.No.	Post	Requirement
(1)	(2)	(3)
1.	Medical Superintendent	1. The incumbent to the post of Medical Superintendent will be with qualification not less than that of Professor. OR 2. Principal or Dean may function as ex-officio Medical Superintendent. However, if there is an existing post of Medical Superintendent, it shall continue to exist.
2.	Deputy Medical Superintendent	1. The qualification shall be BSMS and PG Degree in clinical subject or BSMS with 10 years of clinical experience. 2. Full time regular incumbent other than the teaching staff.
3.	Consultants	Teachers of clinical departments
4.	Emergency Medical Officers	Two
5.	Resident Medical Officer/Resident Surgical Officer (RMO/RSO)	Five (One of Maruthuvam, One of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam One of Sool, Magalir maruthuvam, One of Kuzhandhai maruthuvam and One of Aruvai maruthuvam)
6.	Matron/Nursing Superintendent	One
7.	Staff nurses for In Patient Deptt.	One for every ten beds
8.	Ward Boy or Ayah	One for every twenty beds.
9.	Pharmacists	Two
10.	Dresser	Two
11.	Store Keeper	One
12.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	Two
13.	Dark-room Attendant	One
Modern Medical Staff		
14.	Medical Specialist	One part time/on contract
15.	Surgical Specialist	One part time/on contract
16.	Obstetrician and Gynaecologist	One part time/on contract
17.	Pathologist	One part time/on contract
18.	Anaesthesiologist	One part time/on contract
19.	Ophthalmologist	One part time/on contract
20.	Pediatrician	One part time/on contract
21.	Radiologist	One (Post-graduate in Allopathic Radiology on contract)
22.	Dentist	One part time/on contract
23.	X-Ray Technician/ Radiographer	One
24.	Physiotherapist	One part time/on contract
Staff for Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy Section for In-Patient Department (IPD) & Out-Patient Department (OPD)		
25.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Specialists	Teachers of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam teaching department.
26.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Siddha)	One
27.	Nurses for Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	Two (One male and One female); in addition to the nurses indicated at S.No.7.
28.	Varmam, Puramaruthuvam Assistant	Two male and two female
29.	Yoga teacher / Varmam expert / Bone setter	One (from Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Department)

Staff of Operation Theatre and Karanool Therapy Section		
30.	Aruvaimaruthuvam and karanoal Therapy Specialists	Teachers of Aruvai, Tholmaruthuvam department
31.	Operation Theatre Attendant	One
32.	Dresser	One
33.	Nurse	One in addition to the nurses indicated at S.No.7.
Labour Room		
34.	Sool, MagalirMaruthuvam Specialists	Teachers of Sool, MagalirMaruthuvam department
35.	Midwife	One
Clinical Laboratory		
36.	Laboratory Technicians	Two
37.	Peon or Attendant	One
Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory		
38.	Pharmacy Superintendent	(Teacher of Gunapaadam department
39.	Peon or Attendant	One
40.	Workers	Two
41.	Analytical Chemist (Part time)	One (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
42.	Pharmacognosist (Part time)	One (Lab Technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
	Total: i. For sixty bedded hospital ii. For hundred bedded hospital	Fifty-eight excluding teachers of teaching departments as mentioned above Sevety-two excluding teachers of teaching departments as mentioned above

Note: -

- (1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washer man, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.
- (5) For conditional permission, minimum eighty per cent. of above hospital staff shall be required.

SCHEDULE-V

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TEACHING STAFF IN A SIDDHA COLLEGE

Teaching Department	Requirement of teaching staff					
	Upto 60 students			From 61 to 100 students		
	(2)			(3)		
	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer
1.Siddha Maruthuva Moolathathuvam	1	or 1	1 Siddha + 1 Tamizh / English	1	1	1 Siddha + 1 Tamizh / English
2.Udal Koorugal (Anatomy)	1	or 1	1	1	1	1
3.Udal Thathuvam (Physiology)	1	or 1	1 Siddha + 1 Biochemist	1	1	1 Siddha + 2 Biochemist
4.Gunapadam - Marunthiyal (Pharmacology)	1	or 1	1Siddha + 1 Botanist/Pharmacognosist	1	1	1 Siddha + 1 Botanist/Pharmacognosist
5. Gunapadam - Marunthakaviyal (Pharmaceuticals)	1	or 1	1	1	1	2

6.NoI Naadal and Noi MudhalNaadal (Pathology)	1 or 1	1	1	1	1
7.Sattam Saarntha Maruthuvamum NanjuMaruthuvamum (Forensic medicine and Toxicology)	1 or 1	1	1	1	1
8.Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	1 or 1	1	1	1	1
9.Maruthuvam (Medicine)	1 or 1	1	1	1	1
10Aruvai, Maruthuvam (Surgery)	1 or 1	1	1	1	1
11.Kuzhanthai Maruthuvam (Peadiatrics)	1 or 1	1	1	1	1
12.Varmam, Sirappumaruthuvam (Varmam and Special Medicine)	1 or 1	1	1	1	2
13.NoI Anugaa Vidhi (Hygiene) Including Research Methodology and Medical Statistics	1 or 1	1	1	1	1
	13	17	13	13	19
	30		45		

Note:

- (i) Apart from above, one Yoga teacher in the Department of Varma, Puramauthuvam, One Bio statistician to teach Research Methodology and Medical-statistics and eight Consultants of Modern Medicine as specified at Schedule-IV (Sl. Nos.14 to 22) shall be engaged for teaching on part time basis.
- (ii)The requirement of part time teachers shall be minimum any five as mentioned above in point i. for conditional permission to undertake admission for particular academic session.
- (iii) The deficiency of teachers for up to sixty intake capacity shall not exceed more than ten per cent. of total requirement with availability of minimum one teacher in each of thirteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than ten Professors or Readers distributed in minimum ten Departments. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example- the college having up to sixty seats intake capacity shall have minimum twenty-seven total faculties, out of which minimum ten Professors or Readers covering not less than ten Departments.
- (iv) The deficiency of total teachers for sixty-one to hundred intake capacity shall not exceed more than ten per cent. of total requirement and deficiency of higher faculty shall not exceed more than twenty per cent. of total teachers with availability of minimum one Higher faculty and one Lecturer in each of thirteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than seventeen. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example, the college having sixty-one to hundred seats intake capacity shall have minimum forty total faculties covering all thirteen Departments, out of which minimum seventeen Professors or Readers covering thirteen Departments.
- (v) Wherever additional Professors or Readers are available in the department, the additional Professor may be considered against the requirement of Reader or Lecturer and additional Reader may be considered against the requirement of Lecturer. For example- in a college with intake capacity from sixty-one to hundred under graduate seats, if there are three Professors or one Professor and two Readers or one Professor, one Reader and one Lecturer against the requirement of one Professor, one Reader and one Lecturer in the Department of Udal Koorugal, the college is fulfilling the requirement of faculty in this department and there is no shortcoming of faculty in this department.

SCHEDULE-VI

[See regulation 3, regulation 6, regulations 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF A SIDDHA COLLEGE

S.No. (1)	Department (2)	Post (3)	Requirement (4)
1.	Library	Librarian	One
		Assistant Librarian	One
		Library Attendant or Peon	One
2.	College Office	Personal Assistant to Principal	One
		Clerical staff for administrative accounts services	Seven
3.	Siddha Maruthuva Moolathathuvam	Attendant	One
4.	Gunapadam - Marunthakaviyal (Pharmaceuticals)	Laboratory Technician	One
		Laboratory Assistant	One
		Attendant	One
5.	Udal Koorugal (Anatomy)	Laboratory Technician	One
		Laboratory Assistant	One
		Attendant cum Museum Keeper	One
6.	Udal thathuvam (Physiology)	Laboratory Technician	One
		Attendant	One
7.	Gunapadam - Marunthiyal (Pharmacology)	Laboratory Technician	One
		Attendant cum Museum Keeper	One
8.	Noianugavidhi	Attendant cum Museum Keeper	One
9.	NoiNaadal and NoiMudhalNadal	Laboratory Technician	One
		Attendant	One
10.	Sattam Sarntha Maruthuvam and Nanju Maruthuvam	Attendant cum Museum Keeper	One
11.	Maruthuvam	Attendant cum Museum Keeper	Two
12.	Varmam, and Sirappumaruthuvam		
13.	Sool, Magalir Maruthuvam		
14.	Kuzhanthai Maruthuvam		
15.	Aruvai, Thol Maruthuvam		
16.	Herbal Garden	Gardener	One
		Multipurpose worker	Two
	Total		Thirty-one

Note:

- Sweeper, Attendant, Lifter, Laboratory Assistant, Data Entry Operator (DEO), Multipurpose Worker may be on contractual basis.
- For conditional permission, minimum eighty per cent. of above technical and other staff shall be required.

SCHEDULE-VII

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

A. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR GUNAPADAM - MARUNTHIYAL (PHARMACOLOGY AND MEDICINAL BOTANY) LABORATORY:

S.No.	Equipment and Instruments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Field magnifier	One	One
2.	Compound microscope	One	One
3.	Dissecting Microscope	One	One
4.	Microscope	Fifteen	Twenty-five
5.	Electronic balance	One	Two
Miscellaneous			
6.	Slides box with cover slips,		Assorted
7.	Blotting/filter papers		Assorted
8.	Dissection Box		Assorted
9.	Enamel Trays		Assorted

B. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR DISSECTION HALL:

S. No.	Instruments and Equipments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies.	Assorted	
2.	Machines for bones and brain sectioning	One	
3.	Dissection Sets	Fifteen	Twenty-five
4.	Dissecting Table		
a)	Full size with steel top or marble top stainless	Four	Six
b)	Half size with steel top or marble top stainless	Eight	Ten
General			
5.	X-ray viewing box or panels	Three	Three
Miscellaneous			
6.	Bone cutter of the numbers $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ – fine pointed Chisel bone dissector	Assorted	
7.	Bucket and Mug	Assorted	
8.	Gloves powder	Assorted	
9.	Surgical gloves	Assorted	
10.	Surgical blade	Assorted	
11.	Soap	Assorted	
12.	Disposable syringe – 20cc, 10cc, 5cc	Assorted	
13.	Towels	Assorted	
14.	Dustbin	Assorted	
15.	Furniture and Other Equipments	Assorted	
16.	Wash basin	Assorted	
17.	Preservative Chemicals	Assorted	
18.	Glass jars of different sizes	Assorted	

C. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY (UDAL THATHUVAM) LABORATORY:

S. No.	Instruments and Equipments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Microscopes with oil immersion	Thirty	Fifty
2.	Westergren's pipette for ESR	Sixty	Hundred
3.	Haematocrit Tube	Sixty	Hundred
4.	Sahli's Haemoglobinometer	Sixty	Hundred
5.	Haemocytometer	Sixty	Hundred
6.	Stethoscope	Sixty	Hundred
7.	Clinical Thermometer	Sixty	Hundred
8.	Knee Hammer	Sixty	Hundred
9.	Tuning forks	Sixty	Hundred
10.	Electrocardiograph	One	One
11.	Stop watches	Sixty	Hundred
12.	Water Distillation still	One	One
13.	Balances	One	One
14.	Centrifuge with speed control	One	One
15.	Colorimeter (Photoelectric)	One	One
16.	pH Meter (Electric)	One	One
17.	pH Comparator with disc	One	One
18.	Sterilizer	One	One
19.	BP Apparatus	Sixty	Hundred
20.	Weighing machine	One	One
21.	Peakflow meter	One	One

General			
22.	Refrigerator	One	One
23.	Newton's colour wheel in a batch	One	One
Miscellaneous			
24.	Cover slips, glassware, Micro slides (assorted)	Assorted	
25.	Reagents	Assorted	
26.	Torch	Assorted	
27.	Measuring Tape	Assorted	

D. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR GUNAPADAM - MARUNTHAKAVIYAL (PHARMACEUTICALS) LABORATORY (TEACHING PHARMACY LAB):

S.No.	Instruments and Equipments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Kalvam		
i.	Small	Ten	Twenty
ii.	Medium	Ten	Twenty
iii.	Porcelain	Ten	Twenty
iv.	Thapthakalvam	Two	Four
2.	Yandiram		
i.	ThulaYandiram	One	One
ii.	ValukaYandiram	One	One
3.	Distillation Apparatus	Three	Six
4.	Pudam (Different kinds)	Five	Ten
5.	Moosai (Crucibles)	Thirty	Fifty
6.	Pounding Apparatus	Ten	Ten
7.	Thuruthi with Blower	Two	Four
General			
8.	Heating Device-		
i.	Gas Stove	Assorted	
ii.	Hot plate	Assorted	
iii.	Aduppu (Charcoal)	Assorted	
9.	Balance (Different Capacities)		
i.	Physical	One	One
ii.	Chemical	One	One
iii.	Electronic	One	One
10.	Big Vessels & Containers		
i.	Brass	Assorted	
ii.	Copper	Assorted	
iii.	Steel etc.	Assorted	
11.	Refrigerator	One	One
12.	Wet Grinder	One	One
13.	Mixi	One	One
14.	Juice Extractor	One	One
15.	Pyrometer	Assorted	
16.	Thermometer	Assorted	
17.	Pressure Cooker	Assorted	
18.	Earthen Vessels	Assorted	
19.	Measuring Equipments Different Size (Glass)	Assorted	

Miscellaneous		
20.	Sieves (Assorted Numbers & Size)	Assorted
21.	Jars(Porcelain) Fermentation Purpose	Assorted
22.	Vessels-	
i.	Frying Pan	Assorted
ii.	Steel Vessel	Assorted
iii.	Spatula	Assorted
iv.	Ladles & Spoons	Assorted
v.	Knife	Assorted
vi.	Plates	Assorted
23.	Enamel Trays	Assorted
24.	Spirit Lamp	Assorted
25.	Almiras& Racks for storage	Assorted

E. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR NOI NAADAL (PATHOLOGY) LABORATORY:

S.No.	Equipment and Instruments	Up to sixty intake capacity	Sixty-one to hundred intake capacity
Essential			
1.	Binocular microscope	Fifteen	Twenty-five
2.	Microscope with oil immersion	Fifteen	Twenty-five
3.	Monocular microscope with oil emersion lens 20(e)	Fifteen	Twenty-five
4.	X-ray view box	One	One
5.	Sahli's Square tube	Thirty	Fifty
6.	Hb pipette	Thirty	Fifty
7.	WBC Pipette	Thirty	Fifty
8.	Dropper	Thirty	Fifty
9.	Red cell pipette	Thirty	Fifty
10.	Improved Neubauer chamber	Thirty	Fifty
11.	Incubator	One	Two
12.	Wintrobe's tube	Thirty	Fifty
13.	Pasteur's pipette	Thirty	Fifty
14.	Centrifuge Graduated Machine	One	Two
15.	Westregrens pipette	Thirty	Fifty
16.	Westergrens's stand	Thirty	Fifty
17.	Urinometer	Thirty	Fifty
18.	Autoclave	One	One
19.	Ultraviolet lamp	One	One
20.	Cell counter (haemoautoanalyser)	One	One
21.	BP Apparatus	Thirty	Fifty
22.	Stethoscope	Thirty	Fifty
23.	Thermometer	Thirty	Fifty
24.	Tongue depressor	Thirty	Fifty
25.	Stop watch	Thirty	Fifty
General			
26.	Physical balance	One	One
27.	Hot air oven	One	One
28.	Bunsen burner	Thirty	Fifty
29.	Refrigerator	One	One
Miscellaneous			
30.	Sterile vessels / bottle to collect samples		Assorted
31.	Torch		Assorted
32.	Knee hammer		Assorted
33.	Measuring Tape		Assorted

34.	ENT examination set		Assorted
35.	Reflectors(Mirrors)		Assorted
36.	Weighing machine	One	One
37.	Tuning Forks		Assorted
38.	Nasal speculum		Assorted
39.	Laryngoscope		Assorted
40.	Catheters		Assorted
41.	Probes		Assorted
42.	HBs Ag kit		Assorted
43.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)		Assorted
44.	CT and BT kit		Assorted
45.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit		Assorted
46.	Sterile disposable lancer/needle		Assorted
47.	Glass rod		Assorted
48.	Syringe needle destroyer		Assorted
49.	Cover slip		Assorted
50.	Cleaned slides		Assorted
51.	Litmus paper		Assorted
52.	pH indicator paper strips		Assorted
53.	Test tube		Assorted
54.	Separating funnels of various sizes		Assorted
55.	Glass Jars with lid of different sizes		Assorted
56.	Capillary Tubes		Assorted
57.	Rubber teat		Assorted
58.	Magnifying lens		Assorted
59.	Multi stix		Assorted

F. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM:

S. No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
Essential		
1.	Shadow less Lamp	One
2.	Suction Machine (Neonatal)	One
3.	Oxygen Cylinder and Mask	One
4.	Foetal Toco Cardiograph	One
5.	Radiant Warmer	One
6.	Photo therapy Unit	One
7.	Weighing Machine (Paediatric)	One
8.	Patient trolley	Two
9.	Anaesthesia trolley	One
10.	Infantometer	One
11.	Vacuum extractor	One
12.	Foetal Doppler	One
13.	Low cavity forceps	Two
14.	Steriliser	Two
15.	Machintosh rubber sheet	Assorted
16.	Instruments for labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders etc.)	Assorted
17.	Baby tray	Two
18.	Nebuliser	One
19.	Foetoscope	Five
20.	Auto Clave	One
21.	Drums	Assorted
22.	Instrumental Trolley	Assorted
23.	OT tables and head Up and head Low facility	One
24.	Pulse Oximeter	One
25.	Resuscitation kit	One
26.	Boyle's apparatus	One
27.	Electrocautery	One
28.	MTP Suction Machine	One

29.	Anaesthesia Kit	One
30.	Blunt and Sharp Curettes	Ten
31.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)	Five
32.	Sims's Speculum	Five
33.	Cusco's Speculum	Five
34.	Anterior Vaginal Wall retractor	Five
35.	Uterine sound	Five
36.	Volsellum	Five
37.	MTP Suction Currate	Five
38.	Retractors abdominal (Doyle's etc.)	Five
39.	Sponge holding forceps	Five
40.	Green armytage forceps	Five
41.	Uterus holding forceps	Five
42.	Kocher's forceps	Five
43.	Artery forceps (Long, short, Mosquito) Each	Five
44.	Scissors- different sizes	Five
45.	Forceps obstetrics	Five
46.	Endotracheal tubes	Five
47.	Cord Cutting appliances	Five
48.	I.U.C.D. removing hook	Five
49.	Bladder Sound	Five
50.	B.P. apparatus	Two
Miscellaneous		
51.	HIV kit for emergency patients	Assorted
52.	Plain and Hole towels	Assorted
53.	Towel Clips	Assorted
54.	Catguts and Thread	Assorted
55.	Needles	Assorted
56.	Needle holders	Assorted

G. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR MINOR OPERATION THEATRE:

S.No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
Essential		
1.	Spot light (Shadow less ceiling fitted)	One
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)	Four each
3.	Dressing drums of Assorted size	Two each
4.	Drum stand	Two each
5.	IV Stand	Two
6.	Scissors straight (Tailor)	Four
7.	Scissors curved of different sizes	Five each
8.	Stitch removal scissors	Five each
9.	Pointed scissors	Four
10.	Dissection forceps	Four
11.	Sinus Forceps	Four
12.	Stitching Needle	Twenty
13.	Probes - Assorted size	Five each
14.	Artery Forceps (small, big, Medium)	Four each
15.	Barron Pile's Gun	Two
16.	Autoclave	One
17.	Operation Table	One
18.	Proctoscope – various sizes	Two
19.	Gabrial Syringe	One
20.	Nasal speculum	Four
21.	Ear speculum	Four
22.	Eye wash glasses	Ten
23.	Aural syringe	Assorted
24.	Kaaranool – Medicated Thread	Assorted
25.	Salaagai	Ten

26.	Electric sterilizers	Two
27.	Vaporizer	One
28.	Nebulizer	Two
General		
29.	Emergency power back up facility	Assorted
30.	Emergency light	Four
31.	Fire Extinguisher	Two
32.	BP Apparatus	Two
33.	Refrigerator	One
34.	X-ray View Box (double)	Two
35.	Revolving Stool	Six
36.	Vertical BP Instrument	One
37.	Rubber catheters	Assorted
Miscellaneous		
38.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size	Assorted
39.	Surgical Thread	Assorted
40.	BP Handle of different size	Assorted
41.	Needle holder	Assorted
42.	Kidney trays	Assorted
43.	Surgical blades of different size	Assorted

H. DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENTS:

S. No.	Name of Department	Article required as per norms of CCIM	Required Quantity
1	Maruthuvam – (Medicine)	Essential	
		X-ray viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Weight and height measuring stand	One
		Examination Table	One
		Thermometer	Two
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Torch	One
Knee Hammer	Two		
2	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam therapy, External therapy and Special Medicine)	Essential	
		X-ray viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
		Thermometer	Two
		Tongue depressor	Ten
		Torch	One
		Measuring tape	Two
		Weight and height measuring stand	One
Knee Hammer	Two		
3	Aruvai, Thol Maruthuvam (Surgery, Dermatology)	Essential	
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
		Instruments for anorectal examination	Two sets
		BP Apparatus	Two
		X-ray viewing Box	One
		Cheetle's forceps	Four
		Torch	One
		General	
		Minor OT	Assorted
Miscellaneous			
Surgical Blades	Assorted		
4	Sool, Magalir Maruthuvam (Obstetrics and	Essential	
		Weighing machine	One

	Gynecology)	Lamp stand	One
		Sim's speculum	Two
		Cusco's speculum	Two
		Torch	Two
		X-ray viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
		Measuring tape	Two
5	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	Essential	
		Scale (Baby Weighing)	One
		Torch	Two
		X-Ray Viewing Box	One
		Thermometer	Four
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Examination Table	One
		Scale for height measurement	One
6	Avasara Maruthuvam (Casualty)	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)	Assorted

K.NATARAJAN, Registrar-cum-Secretary.

[ADVT. III/4/Exty./290(124)]

Note.— If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016”, the English version will be treated as final.